	be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruits. Note: There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officials of the Central Government; holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under Column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital - Chairman; 2. Deputy Director looking after the administrative work of Kalawati Saran Children's Hospital in the Directorate General of Health Services -Member; 3. Administrative Officer, Kalawati Saran Children's Hospital -Member.	Not applicable.

[F. No. A. 11018/24/2021-MH-II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 179.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली के विकिरण चिकित्सा विभाग में कनिष्ठ विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् (श्रेणी-I) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, कनिष्ठ विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् (श्रेणी-I) (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् (श्रेणी-I)	06* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/-रुपये)	लागू नहीं होता।	21 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित

					की गयी है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<u>आवश्यक:</u> 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. (क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् का दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड ट्रेनिंग; या (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् में तीन वर्ष का बी.एससी डिग्री कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड ट्रेनिंग; या (ग) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् का दो वर्ष का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड प्रशिक्षण और डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। <u>वांछनीय:</u> नवीनतम तकनीक या उपकरणों वाले किसी उन्नत विकिरण चिकित्सा केंद्र या संस्थान में कार्य करने का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएँ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएंगे, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकेगा: (क) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष; 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के विकिरण चिकित्सा विभाग के प्रमुख - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के प्रशासन का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य; 4. उपनिदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.11018/07/2022-एमएच-II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 30th November, 2022

G.S.R. 179.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Radiotherapy Technologist (Grade–I) in the Radiotherapy Department of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Junior Radiotherapy Technologist (Grade–I) (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any Person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Radiotherapy Technologist (Grade–I)	6* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300/-).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 21 and 27 years (The upper age-limit is relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub -Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep.	**Essential:** 1. 12^{th} class Pass with Science from a recognised Board. 2.(a) Two years' post graduate Radiation Therapy Technologist diploma course based on the minimum course content prescribed by the competent authority passed from a recognised institution with infield training in radiotherapy; or (b) Three years' radiation therapy technologist B.Sc. Degree course based on the minimum course content prescribed by the competent authority passed from a recognised Institution with infield training in radiotherapy; or (c) Two years' Radiation Therapy Technologist diploma course based on the minimum course content prescribed by the competent authority Atomic Energy Regulatory Board passed from a recognised institution with infield training in radiotherapy and minimum three years of post-diploma experience from a recognised hospital or institute. **Desirable**: Experience in working in an advanced radiotherapy centre or Institute with latest techniques or equipment. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.

case of promotees.		
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. **Note:** There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By Direct Recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government; (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made,	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation committee (for considering confirmation) consisting of : 1.Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College & Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Chairman; 2. Head of the Radiotherapy Department, Lady Hardinge Medical College & Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Member; 3.Deputy Director in Directorate General of Health Services looking after the administration work of Lady Hardinge Medical College & Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Member; 4. Deputy Director , Lady Hardinge Medical College & Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Member.	Not applicable.

[F. No. A.11018/07/2022-MH-II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 180.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जहां तक रसोइया-सह-रसोई-सहायक, दर्जी, धोबी-सह-प्रेसमैन के पदों से संबंधित है, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, जिला बांकुरा, पश्चिम बंगाल (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1985 उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल में रसोईया-सह रसोई-सहायक, दर्जी, धोबी-सह-प्रैसमैन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-